



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112024-258739
CG-DL-E-19112024-258739

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4595]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 19, 2024/कार्तिक 28, 1946

No. 4595]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 2024/KARTIKA 28, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2024

का.आ. 4983(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, 'राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा शुल्क ट्रस्ट' (पैन AADTN2508F)', केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट को, उस ट्रस्ट को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (क) नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अंतर्गत/द्वारा यथा अनुमोदित अनुदान या सब्सिडी या अनुदान की प्रकृति में कोई प्राप्ति;
- (ख) नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशों के अनुसार प्रचलित दरों पर संग्रहित विमानन सुरक्षा शुल्क;

- (ग) नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार हेतु लाभार्थी के रूप में अनुसूचित बैंकों के पास हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा अनुरक्षित यात्री सेवा शुल्क (सुरक्षा घटक) की जमाराशि के लिए एसक्रो खातों से अंतरित राशि; और
- (घ) बैंक जमा पर अर्जित व्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा शुल्क ट्रस्ट, –

- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों क्रमशः 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 और 2028-2029 के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्षों 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 और 2029-2030 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 120 /2024/फा. सं. 300196/51/2024-आईटीए-1]

अश्वनी कुमार, अवर सचिव